

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संकल्प

विषय:— अभातशिप विनियम (डिप्लोमा), 2019 की कंडिका-3(1) के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प झापांक-9632 दिनांक-02.12.2019 की कंडिका-9 में निहित प्रावधान के अंतर्गत अनिवार्य शिक्षण प्रशिक्षण से छूट दिये जाने के संबंध में।

बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा संवर्ग के शिक्षकों को अभातशिप विनियमन (डिप्लोमा), 2019 के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प झापांक-9632 दिनांक-02.12.2019 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान (संवर्गीय संरचना, संकाय मानदंड, कैरियर संवर्धन स्कीम तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेजों सहित) दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है।

2. अभातशिप विनियम (डिप्लोमा), 2019 की कंडिका-3(1) के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प झापांक-9632 दिनांक-02.12.2019 की कंडिका-9 में निम्न प्रावधान है :-

अनिवार्य शिक्षण प्रशिक्षण— किसी भी पद पर नियुक्त/प्रोन्नत प्रत्येक शिक्षक को अभातशिप शिक्षण प्रशिक्षण नीति के अनुसार अधिमानतः सेवा के प्रथम वर्ष के भीतर 'स्वयं' में एमओओसीएस के 8 ऑनलाईन मॉड्यूलों को अनिवार्यतः पूर्ण करना होगा।

कोई भी नया नियुक्त हुआ संकाय सदस्य इन 8 मॉड्यूलों को पूर्ण करने का प्रमाणन प्राप्त किए बिना परीक्षा पूर्ण नहीं करेगा।

इन मॉड्यूलों को पूर्ण करने की अपेक्षा, सभी पदधारक शिक्षकों पर भी कैरियर में केवल एक बार, आगामी उच्च संवर्ग में प्रोन्नति/चयन के लिए आवेदन करते समय लागू होगी।

3. अभातशिप, नई दिल्ली का पत्रांक-1-29/MS/AICTE/2020 दिनांक-08.07.2020 द्वारा प्रावधान किया गया है कि सातवां वेतन पुनरीक्षण से संबंधित अभातशिप विनियम-2019 में अनिवार्य आठ मॉड्यूल प्रशिक्षण को नवनियुक्त शिक्षकों एवं वैसे शिक्षक जिनकी सेवा अनुभव दिनांक-01.03.2019 तक 05 वर्ष से कम है, उनके लिए अनिवार्य है।



4. अभातशिप, नई दिल्ली का पत्रांक-27/T&LB/Pay/01/2023-24 दिनांक-09.02.2024 द्वारा अभातशिप विनियम-2019 की कंडिका-4.0 (i) अनिवार्य शिक्षण प्रशिक्षण के बिन्दु पर निम्नरूपेण स्पष्ट किया गया है :-

"The appointing authority/State Directorate of Technical Education/affiliating universities are advised not to hold the cases of eligible career advancement of senior faculty members for the want of fulfilment of training. Their cases can be considered even without fulfillment of mandatory training and such faculty member may be advised to fulfil the **Training Requirement for promotion of Teachers from all the disciplines as per Annexure-III of AICTE Gazette Notification dated 01.03.2019** within a time frame of **12 months** from the date of issuance of this clarification subject to the fulfilment of other conditions as envisaged in the respective notification for promotion to higher scale. However, the relevance of courses undergone by faculty members with more than 05 years experience, as a part of fulfilment of training shall be ascertained by the appointing authority/ Affiliating University/ Directorate of Technical Education as the case may be applicable to.

5. वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9632 दिनांक-02.12.2019 की कंडिका-13 में उल्लेख है कि यदि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम-2019 में निर्दिष्ट अनुशंसाओं में कोई संशोधन किया जाता है तो प्रशासी विभाग वित्त विभाग की सहमति से इस संबंध में निर्गत संकल्प को तदनुसार संशोधित कर सकेगा एवं कंडिका-12 के अनुसार पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों को दिनांक-01.01.2016 से प्रभावी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम-2019 (डिप्लोमा) के माध्यम से निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत प्रोन्नति अनुमान्य होगी।
6. अभातशिप, नई दिल्ली का पत्रांक-1-29/MS/AICTE/2020 दिनांक-08.07.2020 एवं अभातशिप, नई दिल्ली का पत्रांक-27/T&LB/Pay/01/2023-24 दिनांक-09.02.2024 में किये गये प्रावधान को लागू किये जाने के बिन्दु पर वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।



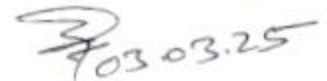
7. उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :-

(i) वैसे शिक्षक जिनकी सेवा अवधि/अनुभव दिनांक-01.03.2019 तक 05 (पॉच) वर्ष से अधिक है उन्हें अभातशिप विनियम-2019 (डिप्लोमा) की कंडिका-3 (1) के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9632 दिनांक-02.12.2019 की कंडिका-9 में अनिवार्य शिक्षक प्रशिक्षण के रूप में 'स्वयं' में MOOCs के 08 ऑनलाईन मॉड्यूल की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाती है।

(ii) वैसे वरीय शिक्षक जिनका सेवा अनुभव 05 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें अभातशिप विनियम-2019 (डिप्लोमा) में वित्तीय उन्नयन हेतु प्रावधानित प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त 12 (बारह) महीने का समय इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि अनुमान्य वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ निर्धारित अतिरिक्त 12 (बारह) महीने की समय-सीमा में वांछित प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही एरियर के रूप में देय होगा। उक्त 12 (बारह) माह की समय-सीमा के अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में अनुमान्य किया गया वित्तीय उन्नयन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

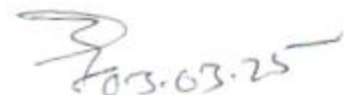


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -वि० प्रा० (II) विविध-14/2019/ 1034 /पटना, दिनांक :- 04/03/25

प्रतिलिपि- सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -वि० प्रा० (II) विविध-14/2019/ 1034 /पटना, दिनांक :- 04/03/25

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सभी
कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.03.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -वि० प्रा० (II) विविध-14/2019/ 1034 /पटना, दिनांक :- 04/03/25

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त
सचिव/निदेशक कोषांग/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर
(अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.03.25

सरकार के संयुक्त सचिव